

04.12.2025

To,

The Hon'ble Chairman,

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority,

Naveen Shavan, Rajya Niyojan Sansthan,

Kala Kankar House, Old Hyderabad,

Lucknow, Uttar Pradesh – 226007

Subject : Request for grant of project registration in case of Vaishno Manor Apartment
(Application Id – ID1740073)

Sir,

Kindly refer to the objection letter dated 24.11.2025. As per the 3rd objection of the said letter, " Madiha Sherwani not added as Promoter".

It is submitted for your kind information that Ms. Madiha Sherwani expired on 29.06.2011 (copy of her death certificate is enclosed as Annexure – 1). Immediately after her death, we applied for the mutation but citing technical reasons (as detailed in the enclosed letter as Annexure -2), the request for mutation was not entertained.


As directed by the Hon'ble Authority, we have again applied for the same (copy enclosed as Annexure -3). The concerned officials informed that because of ongoing SIR and technicalities involved as mentioned in Annexure -2, it may take 2 to 3 months time.

It is kindly submitted that all the objections has been duly complied / rectified except the above. The required compliance is expected to take 3 months. This will result in irreparable loss to us and hence request yourself to kindly grant us the project registration at the earliest.


We undertake to provide the copy of said documents to the Hon'ble Authority as soon as the mutation is executed in our favour.

Thanking you,


With regards,



NAJEEB ULLAH KHAN SHERWANI



NADEEM KHAN



FOZIA SHERWANI



ANNEXURE -1

क्र.सं. 1051
No.

Form-6



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य विभाग / नगर निगम, अलीगढ़

इसका पत्र जारी करने वाले स्थानीय विभाग का नाम
DEPARTMENT OF HEALTH/ Aligarh Nagar Nigam
(Name of Local Body issuing certificate)



मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तर प्रदेश (जन्म व मृत्यु)
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया।
(संशोधित नियम को अधिस्तुति किए जाने पर जारी)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the
UTTAR PRADESH Registration of Births & Deaths Rules 2003)
Name of State Year of notifying the revised rules

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
अलीगढ़ तहसील कोल जिला
अलीगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में उल्लेखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death
which is the register for (Local Area/Local Body) Aligarh
of Tahsil/block KOIL of District ALIGARH of State/Union Territory UTTAR PRADESH

नाम/ Name : मदीहा खानम शेरवानी लिंग /Sex : महिला/Female

मृत्यु की तिथि/ Date of Death : 29/06/2011

मृत्यु का स्थान/ Place of Death : मकान

मृत्यु स्थान का पता/ Death Place Address : दी मैन्जर कोठी नुमाइश रोड अलीगढ़
अब्दुल मुकीत खाँ शेरवानी

पिता/पति का नाम/ Name of Father/Husband :

मृतक का मृत्यु के समय का पता/

Address of the deceased at the time of death :
दी मैन्जर कोठी नुमाइश रोड अलीगढ़

पंजीकरण का दिनांक/ Date of Registration
12/08/2011

पंजीकरण संख्या/ Registration No : Death2011-01839

जारी करने की तिथि/ Date of Issue : 12/08/2011

टिप्पणी/ Remarks(if any)



अधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the issuing authority
अधिकारी का पता/ Address of the issuing authority

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
नगर निगम, अलीगढ़

मोहर/ Seal

"Ensure registration of every birth and death in every village and town and ensure that every birth and death is registered in the register of Births and Deaths in the local area in which it occurs"
जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित की।
Website : www.aligarhnagarnigam.in

कार्यालय तहसीलदार कोल, अलीगढ़ ।

पत्रांक 125 / 2021

दिनांक 22.02.2021

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)

अलीगढ़ ।

विषय :- आवासीय प्लॉटों के के दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्रांक 2008(14) दिनांक 01 मई 2019के क्रम में आवासीय प्लॉटों के दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे । उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि आवासीय प्लॉटों के दाखिल खारिज हेतु प्राप्त बैनामा की छायाप्रति में नविश्ता, 11 फरवरी 2016 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पूर्व की दर्शाई जाती है । जबकि 11 फरवरी 2016 से पूर्व आवासीय प्लॉट उ०प्र०भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 में आवासीय प्लॉट के दाखिल खारिज का कोई प्राविधान नहीं था । उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में भी यह वर्णित किया गया है कि जिस अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित हुआ है उसका निस्तारण उसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा । उ०प्र०भूराजस्व अधिनियम 1901की धारा 34 के अन्तर्गत नविश्ता बैनामा 11 फरवरी 2016 से पूर्व का है । उसका उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 में दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है । चूंकि आवासीय प्लॉट में दाखिल खारिज में 2016 से पूर्व के बैनामा में नविश्ता काश्तकारों के नाम प्रथक किये जाने होते हैं इसलिये भी नामान्तरण किया जाना संभव नहीं है । यहां यह भी अवगत कराना है कि उपनिबन्धक कार्यालय अलीगढ़ द्वारा मकानों के बैनामा, उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 80, उ०प्र०भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 143/आवादी घोषित हो जाने के उपरान्त भी नामान्तरण हेतु बैनामा की प्रति को भेजा जाता है । जबकि इनके आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता है ।

अतः अनुरोध करना है कि 11 फरवरी 2016 से पूर्व के नविश्ता बैनामा, विक्रेता द्वारा आवासीय प्लॉटों को उ०प्र०राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 80, उ०प्र०भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 143/आवादी घोषित हो जाने व आवासीय मकानों वाले बैनामा की प्रतियों को तहसीलदार कोल के न्यायालय में न भेजने के लिये उपनिबन्धक कार्यालय अलीगढ़ को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे वादकारी व न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों में अनावश्यक बहस की स्थिति से बचा जा सके और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके ।

S.R-2, II, III कोल

तहसीलदार
कोल 2/21

ADD (FR)
23/2/21

राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार हेतु रिपोर्ट

[आर सी प्रपत्र 9, देखें नियम 29 (1)]



भाग -1

राजस्व संहिता की धारा 33(1)के अन्तर्गत उत्तराधिकार/वरासत प्रकरण के अन्तर्गत आवेदन पत्र का सारांश

1.01	जनपद :	अलीगढ़
1.02	तहसील :	कोल
1.03	राजस्व ग्राम जिसके भू-खण्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया :	कस्बा कोल-1 (122443)
1.04	लेखपाल हल्के का नाम जिसमें उपरोक्त राजस्व ग्राम सम्मिलित है :	कस्बा कोल प्रथम
1.05	कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या :	20251814300755005295
1.06	आवेदन करने की तिथि:	27/11/2025
1.07	आवेदक का नाम:	नजीब शेरवानी उर्फ नजीब उल्लाह खान शेरवानी
1.08	पिता/पति /संरक्षक का नाम	नईम उल्ला खान शेरवानी
1.09	आवेदक का मोबाइल नम्बर :	XXXXXX6452
1.10	आवेदक का पता :	3/93ए, दुर्गाबाड़ी म
1.11	आवेदन की स्थिति :	आवेदन लेखपाल द्वारा "अविवादित" कर दिनांक 01/12/2025 में राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित किया गया।

भाग -2

मृतक / विवाहिता / पुनर्विवाहिता मृतक / मृतका खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार का दावा किया गया है

2.01	उत्तराधिकार का आधार :	महिला खातेदार - खातेदार की मृत्यु - बीबी मदिया शेरवानी संरक्षिका माता अहमदी बेगम
2.02	खातेदार की मृत्यु की तिथि :	29/06/2011 (मृत्यु की तिथि की शुद्धता के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा)
2.03	खातेदार के पिता/पति का नाम :	अब्दुल मुकीत खां शेरवानी
2.04	मृतक/मृतका/विवाहिता/पुनर्विवाहिता को सम्पत्ति प्राप्त होने का स्रोत :	उत्तराधिकार से
2.05	खातेदार का पता	मण्डल : अलीगढ़, जनपद : अलीगढ़, ब्लॉक / ग्राम /मोहल्ला : 3/93ए, दुर्गाबाड़ी म

भाग -3

बीबी मदिया शेरवानी संरक्षिका माता अहमदी बेगम के स्वामित्व के भू-खण्ड / भू -खण्डों का विवरण

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम/कोड	खतौनी / खाता संख्या	गाटा संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	गाटे का यूनीक कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	कस्बा कोल-1 (122443)/122443	00328	978/2	बीबी मदिया शेरवानी	पुत्री अहमदी बेगम	122443-0978-100212	0.8190
2	कस्बा कोल-1 (122443)/122443	00328	981/1	बीबी मदिया शेरवानी	पुत्री अहमदी बेगम	122443-0981-100112	0.8870
3	कस्बा कोल-1 (122443)/122443	00328	982/1	बीबी मदिया शेरवानी	पुत्री अहमदी बेगम	122443-0982-100112	1.2670

भाग -4

बीबी मदिया शेरवानी संरक्षिका माता अहमदी बेगम के वारिसों का विवरण

4.01	वारिस संख्या *	1
4.02	1 - वारिस का नाम :	नजीब शेरवानी उर्फ नजीब उल्लाह खान शेरवानी
4.03	1 -पिता /पति/संरक्षक की प्रकृति :	पिता
4.04	1 -पिता / पति / संरक्षक का नाम :	नईम उल्लाह खां शेरवानी
4.05	1 -वारिस की उम्र:	64
4.06	1 -वारिस का पता:	3/93ए, दुर्गाबाड़ी मैरिस रोड अलीगढ़
4.06	1 -वारिस का खातेदार से सम्बन्ध:	पुत्र-पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज (पुत्र)
4.06	1 -सहमत / असहमत :	सहमत
4.06	1 -गवाहों का विवरण :	-

4.11	वारिस संख्या *	2
4.12	2 - वारिस का नाम :	नदीम शेरवानी उर्फ नदीम खां
4.13	2 -पिता /पति/संरक्षक की प्रकृति :	पिता
4.14	2 -पिता / पति / संरक्षक का नाम :	नईम उल्लाह खां शेरवानी
4.15	2 -वारिस की उम्र:	59
4.16	2 -वारिस का पता:	4/250 1, आफताब मंजिल कम्पाउण्ड शमशाद मार्केट कोल अलीगढ़
4.16	2 -वारिस का खातेदार से सम्बन्ध:	पुत्र-पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज (पुत्र)
4.16	2 -सहमत / असहमत :	सहमत
4.16	2 -गवाहों का विवरण :	-

आवेदन की स्थिति

लेखपाल की जांच आख्या	अविवादित
राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या	

प्रिंट दिनांक : 01/12/2025 19:09:29

नाम : नजीब शेरवानी उर्फ नजीब उल्लाह खान शेरवानी

मोबाइल नम्बर : XXXXXX6452